

(डीएफएचआई) तथा सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एल टी सी आई) में हुण्डियों को पुनः धुनाने की स्कीम आदि के अन्तर्गत मांग/सूचना जमा, वाणिज्यिक हुण्डियों जैसे विभिन्न पूर्वी बाजार साधनों में उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अन्वृत्त निवेश के रूप में निधिओं के नियोजन की घोषणा करती है।

[फाइल नं० 131 (40)/नि० /IV/88]

राजेंद्र प्रसाद, अवर सचिव

(Insurance Division)

New Delhi, the 12th November, 1997

S.O. 2946.—In exercise of the powers conferred by clause (q) of sub-section (1) of Section 27(A) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby declares placement of funds in various money market instruments like Call/Notice Deposits, Commercial Bills under Bills Rediscounting Scheme, etc. with Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI) and Securities Trading Corporation of India Ltd. (STCI) as Scheduled Investment for the purpose of the said section.

[F. No. 131(40)/Inv. IV/88]

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1997

का०आ० 2947.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए पशु केसिम्स के निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अध्याधीन रहते हुए बनाए गए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षाानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश नं० का०आ० 132(अ) तारीख 21 फरवरी, 1997 द्वारा राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 21 फरवरी, 1997 में प्रकाशित किए गए थे।

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके हस्तसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र से प्रकाशन से पैंतालिस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आर्पित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने तबकाय कर लिया है।

और मानकों की उच्च क्वालिटी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह आयातकर्ता देशों के स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार होंगी जैसी कि वे यूरोपियन समुदाय के तारीख 18-3-94 के एकीकृत निर्देश नं० 94/187/ईओ और तारीख 17-12-92 के एकीकृत निर्देश नं० 92/118/ईईसी में दी गयी हैं।

अतः भारत सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशु केसिम्स से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना नं० का०आ० 2283 तारीख 24 अगस्त, 1994 का अधिग्रहण करते हुए भारत के सूक्ष्म निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श के पश्चात् उसकी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है:

(1) पशु केसिम्स का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा।

(2) क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण का प्रकार पशु केसिम्स के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1997 के अनुसार पशु केसिम्स के निर्यात से पूर्व अधिसूचना में वर्णित क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का प्रकार लागू होगा।

(3) निम्नलिखित को मान्यता देना:

(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को,

या

(ख) श्रेणी पदनाम पशु केसिम्स श्रेणीकरण और विपणन नियम, 1964 के अधीन बनाए गए हों,

या

(ग) निर्यातकर्ता द्वारा घोषित और श्रेता तथा विप्रेता के मध्य हुए निर्यात सविदा के अनुसार हों।

(4) पशु केसिम्स के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करना जिसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त अधिकारणों द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो।

इस आदेश की कोई भी बात भावी श्रेताओं को पशु केसिम्स के ऐसे वास्तविक नमूनों के भूमि या समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका भूस्थ समय-समय पर नीति तथा अधिकांश अनुश्रेय सीमाओं से अधिक नहीं होगा जहां ऐसा प्रावधान नहीं है वहां निःशुल्क नमूनों की सीमा 1000/-रुपये से अधिक नहीं होगी।

इस आदेश में पशु केसिंग्स से अभिप्राय स्वस्थ पशुओं के वध जो कि प्राधिकृत वधशाला में संसाधित किया जाता है

[फाईल सं० 6/1/96-ईआई एण्ड ईपी]

प्रभ दास, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER.

New Delhi, the 3rd November, 1997

S.O. 2947.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Animal Casings to quality Control and Inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export Quality Control and Inspection Rules, 1964, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st February, 1997 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce Number S.O. 132(E), dated the 21st February, 1997;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within a period of forty five days of the publication of the said order in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 21st February, 1997.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

And whereas it is necessary to maintain the highest quality standard as per the health requirement of the importing countries that would encompass the standards like unified Directives Number 92/118/EEC, dated the 17th December, 1992 and 94/187/EC dated the 18th March, 1994 of the European Community.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce Number S.O. 2283 dated the 24th August, 1994 relating to Animal Casings, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of India after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby;

- (1) notifies that Animal Casings shall be subjecte to quality control and inspection prior to export ;
- (2) specifies that the type of quality control and inspection shall be in accordance with the export of Animal Casings (Quality Control and Inspection) Rules 1997 as the the type of Quality Control and Inspection which shall be applied to such Animal Casings prior to export, in the notification ;
- (3) recognises the specifications ;
 - (a) National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council ;

OR

- (b) Grade designation formulated under the Animal Casings Grading and Marking Rules, 1964 ;

OR

- (c) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between buyer and the exporter,

- (4) Prohibits the export, in the course of international trade of Animal Casings unless it conforms to the standards specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by any of the Agencies established or recognised under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of animal casings to prospective buyers, the values of which shall not exceed permissible limits as laid down in Exim-Policy from time to time. Where no such provision exist the value limit of sample(s) shall not exceed Rs. 1,000.

In this order, Animal Casings means processed intestines of a healthy animal slaughtered in an authorised slaughter house.

[File No. 6/1/96-EI&EP]

PRABH DAS, Director

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1997

का०आ० 2948.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु केसिंग्स के (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) से संबंधित नियम, 1994 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2284 तारीख 24 अगस्त, 1994 को अधिमान्त करते हुए सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिग्रहण से पूर्व की गयी हैं या जिनका लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु केसिंग्स का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1997 होगा ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

भाग-I

यूरोपियन समुदाय (ईयू) तथा अन्य देशों को निर्यात के मामले में लागू, जो यह मांग करते हैं कि पशु केसिंग्स को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए ।

2. परिभाषा :

इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

- (क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,
- (ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनकी ओर से इस संबंध में निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है ।